संख्या-43/2015/1000/92-1-2015-09(अधि0)/2015

प्रेषक,

शिशिर कुमार यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक एवं मुख्य अभियंता,
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1, लखनऊ: दिनांक: 22 मई, 2015

विषय:- श्री उदय शंकर सिंह, अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, बलिया की पत्नी श्रीमती हंसरावती सिंह के चिकित्सा उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-7097/ग्रा0अ0वि0/बजट/चि0प्रति0/बलिया /2014-15, दिनांक रहित का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासकीय अधिसूचना संख्या-474/पांच-6-14-1082-87टीसी, दिनांक 04-3-2014 के माध्यम से अधिसूचित उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 में निहित प्राविधानो के अंतर्गत श्री उदय शंकर सिंह, अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, बलिया की पत्नी श्रीमती हंसरावती सिंह की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली दिनांक 22-01-2014 से 31-01-2014 तक करायी गयी चिकित्सा पर हुए व्यय के सापेक्ष प्रतिपूर्ति हेतु इंगित की गयी धनराशि रू0-5,19,500.00 (रूपये पॉच लाख उन्नीस हजार पॉच सौ मात्र) की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। उक्त से संबंधित समस्त बिल वाउचर्स एवं अनिवार्यता प्रमाण-पत्र मूलरूप में संलग्न हैं। कृपया इस शासनादेश व संलग्न किये जा रहे समस्त संलग्नकों की प्राप्ति सूचना शासन को लौटती डाक से भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

3- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त संबंधित बिलों का भुगतान इससे पूर्व नहीं किया गया है तथा यदि इस सम्बन्ध में पूर्व में कोई चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किया गया हो, तो स्वीकृत की जा रही धनराशि से उसका समायोजन अवश्य कर लिया जाय।

4- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-ग्रामीण अभियंत्रण सेवा-49-चिकित्सा व्यय के नामे डाला जायेगा।"

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

संख्या-43/2015/1000(1)/92-1-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, बलिया।
4- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया।
5- श्री उदय शंकर सिंह, अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, बलिया।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in